राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांकः–ई–20 / नर्सिंग / नाम विलोपन(ई.फा. 148) / 2023 / 212 दिनांक–3/3/2023

आदेश

निम्नलिखित कार्मिको की राज्य सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने के कारण उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से राज्य सेवा से नाम विलोपित किया जाता हैः–

क्र स	कर्मचारी का नाम व पदनाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	मृत्यु की तिथि
1	राजबाला, म.स्वा.कार्यकर्ता	प्रा.स्वा.केन्द्र घुमनसर, खण्ड सूरजगढ, झुन्झुनु	02.02.1980	29.01.2016	20.12.2022
2.	बीना देवी, म.स्वा.कार्यकर्ता	प्रा.स्वा.केन्द्र तालचिडी, दौसा	17.08.1965	06.09.1996	20.09.2022

इनके विरूद्धः–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–ई–20 / नर्सिंग / नाम विलोपन(ई.फा. 148) / 2023 / 212 दिनांक–3/3/2023

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पेशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा / झुन्झुनु ।
4. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ।
5. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी ।
6. प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी अनुभाग, मुख्यालय।
7. प्रशासनिक अधिकारी टी.सी (अराजपत्रित) मुख्यालय ।
8. संबंधित कर्मचारी के आश्रित को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें।
10. आदेश / निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

Document certified by [illegible]
NAVAL [illegible]

Digitally Signed by
Suresh Kumar Naval
Designation : Director
Date .02-0[illegible]-2023
05 05:14

RajKaj Ref No. : 3290664